[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

वित्त मत्रांलय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

संख्या 02/2023-केंद्रीय कर (दर)

नई दिल्ली, दिनांक 28 फरवरी, 2023

सा.का.नि......(अ).-केन्द्रीय माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 9 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार, जीएसटी परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतदद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 13/2017-केन्द्रीय कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017, जिसे सा.का.नि. 692 (अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती हैं, यथा:-

उक्त अधिसूचना में, स्पष्टीकरण में, खंड (ज) में, "और राज्यों के विधान मंडल" शब्दों के स्थान पर शब्दों " , राज्यों के विधान मंडल, न्यायालयों और न्यायाधिकरणों" को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

2. यह अधिसूचना 01 मार्च, 2023 से लागू होगी होगी।

[फाइल संख्या - सीबीआईसी -190354/21/2023- टीओ (टीआरयू -II) सीबीईसी]

(राजीव रंजन)

अवर सचिव, भारत सरकार

नोट: प्रधान अधिसूचना संख्या 13/2017-केंद्रीय कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017, को सा.का.नि. 692 (अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 05/2022-केंद्रीय कर (दर), दिनांक 13 जुलाई, 2022, सा.का.नि. 547 (अ), दिनांक 13 जुलाई, 2022 के तहत प्रकाशित, के द्वारा संशोधन किया गया है।